उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह।

Email Id :- dpro-giridih@nic.in (जिला पंचायत शाखा) Contact No. 06532228326

विज्ञापन

15वें वित्त आयोग अनुदान अंतर्गत अनुमान्य अनिवार्य गतिविधियों के संचालन के निमित्त पंचायतों में ग्रामीण निवासियों को सेवाएँ प्रदान करने के कम में पंचायतों में कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में सेवा प्राप्त करने के निमित जिला स्तरीय पैनल में चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से निम्न सेवाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते है :–

क0 सं0	सेवा का नाम	पद की संख्या	आरक्षण वर्ग					क्षैतिज आरक्षण संबंधी विवरणी				
			SC	ST	BC-1	BC-11	UR	महिला	दृष्टि दिव्यांग	श्रवण दिव्यांग	चलन दिव्यांग	बहु निशक्तता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	कनीय अभियंता	26	4	3	4	2	13	1	1	-	-	-
2	लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	67	9	8	9	7	34	3	1	1	1	-

2. **आवेदन समर्पित करने की प्रकिया :**

A. पैनल में चयन हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में भरे जायेंगे जिसे जिले के वेबसाईट www.giridih.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

B. आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा एवं पदवार अलग–अलग शुल्क जमा करना होगा।

C. आवेदक को आवेदन के साथ पद के अनुरूप शुल्क का भुगतान करना होगा, जो निम्नवत होगा :–

कमांक	पद का नाम	शुल्क की राशि	कोटि
1	2	3	4
1	कनीय अभियंता	500/-	सामान्य श्रेणी के लिए
		300/-	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए
2	लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	500/-	सामान्य श्रेणी के लिए
		300/-	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए

D. आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान **उपायुक्त, गिरिडीह** के पदनाम से राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से किया जायेगा,जो गिरिडीह जिला में भुगतेय हो।

E. आवेदन पत्र निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से समर्पित किये जायेंगे एवं आवेदन पत्र समर्पित करने की तिथि **दिनांक 17 मार्च, 2021 से दिनांक 23 मार्च, 2021 तक** निर्धारित की गई है । आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणति प्रति एवं आवेदन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न करना अनिवार्य होगा। लिफाफे पर आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, पत्राचार का पता तथा आवेदित पद का नाम साफ–साफ अक्षरों में लिखा होना चाहिए।

F. आवेदन पत्र ई–मेल (DPRO-GIRIDIH@JHARKHANDMAIL.GOV.IN) के माध्यम से भी समर्पित किया जा सकता है। परंतु इसकी भी प्रति स्पीड पोस्ट एवं निबंधित डाक से कार्यालय अवधि में निर्धारित तिथि तक भेजे जाने होंगे।

G. आवेदन पत्र के साथ एक स्वपता (पत्राचार पता) लिखा लिफाफा निबंधित डाक हेतु निर्धारित मो0 22:00 (बाईस) रूपये के टिकट के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा ।

H. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र/अधूरा भरा आवेदन पत्र/आवेदन शुल्क रहित आवेदन पत्र/वांछित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न नहीं रहने पर आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

I. पैनल में चयन की प्रक्रिया पूरे राज्य में एक साथ प्रारंभ की जाएगी अर्थात सभी जिलों में एक साथ चयन हेतु आवेदन पत्र मांगे जायेंगे एवं आवेदन पत्र संबंधित जिलें में ही समर्पित किए जायेंगे।

3. **सेवा अनुबंध हेतु पैनल में चयन के लिए योग्यता एवं अन्य शर्तो से संबंधित विवरणी निम्नवत है :–**

A. सेवा अनुबंध के विरूद्ध ग्राम पंचायत द्वारा कर्मी को भुगतान 15वें वित्त आयोग मद की अनाबद्ध अनुदान मद राशि से निम्नवत अनुमान्य होगाः–

क0सं0	पद का नाम	अधिकतम मासिक देय राशि
1	*2*	*3*
1	कनीय अभियंता	**17,000/-**
2	लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	**10,000/-**

B. कनीय अभियंता :

1. शैक्षणिक योग्यता

(i) अनिवार्य योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नियमित पाठ्यक्रम में 60 प्रतिशत अंकों के साथ सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष शैक्षणिक योग्यता। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत होगा।

(ii) वांछनीय योग्यता : संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता ।

2. <u>उम्र सीमा</u> :

(i) कनीय अभियंता के लिए उम्र सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी। उम्र सीमा की गणना 01.01.2021 के आधार पर की जाएगी।

(ii) वैसे अभ्यर्थी जिन्हें ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यों का अनुभव हो उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में अधिकतम तीन वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

3. चयन की प्रकिया :

(i) जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अनुशंसा के आलोक में चयनित अभ्यर्थियों के सेवा अनुबंध हेतु जिला स्तरीय पैनल तैयार किया जाएगा।

(ii) नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय), अनुभव एवं विषय के ज्ञान संबंधी जाँच परीक्षा के अंको के कुल प्राप्तांकों पर आधारित होगा।

4. मेधा सूची तैयार करने की पद्धति :

(i) प्रारंभिक मेधा सूची कंडिका 5 में अंकित मापदण्ड के आधार पर अनिवार्य, वांछनीय, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के कुल प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाएगी। प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में आरक्षणवार रिक्तियों के तीन गुणा अभ्यर्थियों की प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी।

(ii) उपरोक्त प्रारंभिक मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को विषय (अभियंत्रण) ज्ञान हेतु जाँच परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

(iii) अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्ति का दोगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। पदों में एक साल के अंदर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जायेंगे।

(iv) दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची में टाई (Tie) की स्थिति में उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि उम्र बराबर हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जायेगी। स्थानीयता में समानता होने की स्थिति में लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा।

5. मूल्यांकन :

(i) अभ्यर्थियों का मूल्यांकन 100 अंको पर किया जाएगा जो निम्न खण्डों में विभाजित रहेगाः–

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछित योग्यता	अनुभव	विषय ज्ञान	योग
50	10	30	10	100

(ii) विषय ज्ञान संबंधी जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40 प्रतिशत रहेगा यानि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा।

(iii) चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मदीवारों को न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे।

(iv) अनुभव का तात्पर्य है 14th FC में कार्य करने का अनुभव। जिसका प्रमाण मानदेय भुगतान संबंधी विवरणी के आधार पर होगा।

C. लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर :

1. **शैक्षणिक योग्यता** :

(i) अनिवार्य योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी0कॉम/बी0एस0सी0 (गणित/सांख्यिकी)/बी0ए0 (गणित/सांख्यिकी) अथवा समकक्ष डिग्री। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत होगा।

(ii) **वांछनीय योग्यता एवं अनुभव** : संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता एवं अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।

2. **उम्र सीमा :**

(i) लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिए उम्र सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी। उम्र सीमा की गणना 01.01.2021 के आधार पर की जाएगी।

(ii) वैसे अभ्यर्थी जिन्हें ग्राम पंचायत में 14वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यो का अनुभव हो उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में अधिकतम तीन वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

3. **चयन की प्रकिया :**

(i) जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अनुशंसा के आलोक में चयनित अभ्यर्थियों के सेवा अनुबंध हेतु जिला स्तरीय पैनल तैयार किया जाएगा।

(ii) नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय), अनुभव एवं कम्प्यूटर जाँच के अंको के कुल प्राप्तांकों पर आधारित होगा।

4. **मेधा सूची तैयार करने की पद्धति :**

(i) प्रारंभिक मेधा सूची कंडिका 5 में अंकित मापदण्ड के आधार पर अनिवार्य, वांछनीय, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के कुल प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाएगी। प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में आरक्षणवार रिक्तियों के तीन गुणा अभ्यर्थियों की प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी।

(ii) उपरोक्त प्रारंभिक मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर जाँच हेतु जाँच परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

(iii) अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्ति का दोगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। पदों में एक साल के अंदर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जायेंगे।

(iv) दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची में टाई (Tie) की स्थिति में उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि उम्र बराबर हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जायेगी। स्थानीयता में समानता होने की स्थिति में लॉटरी के माध्यम से चयन किय जाएगा।

5. **मूल्यांकन :**

(i) अभ्यर्थियों का मूल्यांकन 100 अंको पर किया जाएगा जो निम्न खण्डों में विभाजित रहेगाः–

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछित योग्यता	अनुभव	कम्प्यूटर ज्ञान	योग
50	10	30	10	100

(ii) कम्प्यूटर जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40 प्रतिशत रहेगा यानि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा।

(iii) चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मदीवारों को न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे।

(iv) लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में चयन हेतु अभ्यर्थियों को हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण में क्रमशः न्यूनतम 25 एवं 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य होगी।

(v) अनुभव का तात्पर्य है 14th FC में कार्य करने का अनुभव। जिसका प्रमाण मानदेय भुगतान संबंधी विवरणी के आधार पर होगा।

D. सेवा अनुबंध पर कार्य लेने हेतु शर्त्ते निम्नवत होगी :–

1. चयन समिति केवल पैनल में नाम हेतु अनुशंसा करेगी।

2. चयनित अभ्यर्थियों के लिए प्रखण्ड एवं पंचायत के चयन के संबंध में उपायुक्त, गिरिडीह के स्तर निर्णय लिया जा सकेगा। उपायुक्त के स्तर से पंचायतों का कलस्टर तैयार किया जायेगा।
3. चयनित अभ्यर्थियों से प्रखण्ड एवं पंचायतों के कलस्टर हेतु विकल्प मांगा जाएगा। योग्यता सह विकल्प (Merit cum Choice) के आधार पर प्रखण्ड एवं पंचायत का कलस्टर अभ्यर्थी को कर्णांकित किया जाएगा।
4. कार्णांकित अभ्यर्थियों में से कनीय अभियंता का सेवा अनुबंध संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–सचिव, पंचायत समिति करेंगे तथा लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर का अनुबंध संबंधित पंचायत कलस्टर के सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव द्वारा किया जाएगा।
5. सेवा अनुबंध प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए किया जाएगा। एक वर्ष के पश्चात उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी जिसके आधार पर सेवा की आवश्यकता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर एक–एक वर्ष के लिए सेवा अनुबंध का नवीकरण किया जा सकेगा किन्तु सेवा अनुबंध सिर्फ 15वें वित्त आयोग की अवधि तक के लिए ही अनुमान्य होगा एवं किसी भी परिस्थिति में इसे आयोग की अवधि के पश्चात की अवधि के लिए नवीकरण नहीं किया जाएगा।
6. सेवा अनुबंध का वार्षिक नवीकरण सेवा की अवश्यकता, कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी सेवा अनुबंध स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
7. उपर्युक्त अवधि में सेवा अनुबंध पर कार्यरत कर्मी की किसी अन्य स्थान/संस्थाओं इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। साथ ही पंचायत द्वारा कियान्वित योजनाओं में संवेदक अथवा किसी अन्य रूप में कार्य करने अथवा निविदा में भाग लेने की अनुमति संबंधित कर्मी अथवा उनके पारिवारिक सदस्यों को नहीं होगी।
8. यदि कोई कार्यरत कर्मी सेवा अनुबंध से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो संबधित पंचायतों को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर सेवा अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
9. चयनित कर्मी का कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर संबंधित पंचायत सचिव एवं मुखिया संयुक्त रूप से उसे कार्यमुक्त करने की स्पष्ट कारणों के साथ अनुशंसा उपायुक्त को उपलब्ध करायेंगे जिसपर उपायुक्त को 15 दिनों के अंदर निर्णय लेना अनिवार्य होगा। किन्तु निर्णय के पूर्व संबंधित कर्मी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर दिया जाएगा।
10. सेवा अनुबंध पर कार्यरत कर्मी के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत/परिवाद प्राप्त होने पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के स्तर से आवश्यक जाँच परिवाद प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित उपायुक्त को प्रेषित किया जाएगा। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के एक पक्ष के अंदर उपायुक्त निर्णय लेना सुनिश्चित करेंगे।
11. सेवा अनुबंध पर कार्यरत कर्मी को सेवा अनुबंध के विरूद्ध निर्धारित राशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का मानदेय अथवा भत्ता आदि का भुगतान नहीं किया जायगा।
12. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवकाश सेवा अनुबंध कर्मियों को देय होगा।

ह0/-
उपायुक्त, गिरिडीह।

ज्ञापांक 224 /जि0पं0 दिनांक 12.03.2021

प्रतिलिपि:–जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश है कि उक्त विज्ञापन एवं संलग्न आवेदन पत्र के प्रपत्र को गिरिडीह जिला के आधिकारिक वेबसाईट www.giridih.nic.in पर अविलम्ब अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय ।

प्रतिलिपि:–जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को विज्ञापन की सॉफ्ट कॉपी के साथ प्रेषित। निर्देश है कि उक्त विज्ञापन को सभी स्थनीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि:–निदेशक–सह–संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक 410 दिनांक 22.02.2021 के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।

10/3/2021
उपायुक्त, गिरिडीह।

आवेदन पत्र (ए–4 साईज पेपर में मुदित)

1. सेवा जिसके लिए आवेदन समर्पित किया जा रहा है :–
2. आवेदक का नाम :–
   (हिन्दी एवं अंग्रेजी में)

स्व अभिप्रमाणित फोटो

3. पिता / पति का नाम :–
4. आरक्षण कोटि :–
   (सक्षम स्तर से निर्गत स्थानीयता, जाति, आय एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न की जाय)
5. जन्म तिथि :–
6. पत्राचार का पता :–
7. स्थायी पता :–
8. राष्ट्रीयता :–
9. मोबाईल नं0–
10. ई– मेल :–
11. शैक्षणिक योग्यता :–

परीक्षा का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष	परीक्षा के विषय	प्राप्तांक	प्रतिशत

(शैक्षणिक योग्यता संबधी प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय)

12. अनुभव एवं नियोजनों का विवरण यदि हो :–

पद का नाम	स्थायी / अस्थायी / संविदा / अन्य	पदग्रहण की तिथि	पदत्याग की तिथि	नियोजक का नाम एवं पूरा पता
1				
2				
3				

(नियोजन अवधि में मानदेय भुगतान से संबंधित विवरणी एवं प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय)

13. उम्मीदवार का पहचान चिन्ह:–

14. आवेदन शुल्क भुगतान संबंधी विवरणी :–

15. आवेदन के साथ संलग्न अनुलग्नकों की सूची :–

1–	2–	3–	4–
5–	6–	7–	8–

16. मैं .... घोषित करता हूँ कि :–

(क) इस आवेदन में दिये गये सभी विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

(ख) मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्र मांग करने पर प्रस्तुत करूँगा/करूँगी।

(ग) यदि परीक्षा से पूर्व या पश्चात् किसी समय कोई सूचना गलत या असत्य पायी जाएगी तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है एवं मेरे विरूद्ध समुचित कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान एवं दिनांक:–

उम्मीदवार का हस्ताक्षर